न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 11/2025

HAPPY REALSQUARE LLP कार्यालय 40, श्रीजी एनक्लेव, जयरामपुरा रोड, नींदड जयपुर जरिये– अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री जितेन्द्र सैनी पुत्र श्री भोलाराम सैनी जाति माली नि0 लोधा की ढाणी, पोस्ट नींदड हरमाडा, जयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बोबास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोबास तहसील जोबनेर।

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 161 आदेश दिनांक 19/12/2024 ग्राम पंचायत बोबास तहसील जोबनेर

1. श्री रामावतार वकील अपीलान्ट

दिनांक :– 14/05/2025

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्ट इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 10/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17/2, 7/2, 8/1, 8/2, 9 कुल किता 11 कुल रकबा 2.1370 हे0 वाकै ग्राम कंवरपुरा पटवार मण्डल बोबास तहसील जोबनेर में स्थित है। जिसमें से 1/2 हिस्सा खातेदार बाबूलाल शर्मा पुत्र बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण से जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2024 को खरीद की है तथा सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि देकर अपने पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजीयक जयपुर सप्तम से अपने पक्ष में पंजीबद्ध करवाया तथा मौके पर उसी दिन कब्जा भी विक्रेता ने क्रेता को संभला दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामांतकरण/प्रविष्ठि संख्या 161 दिनांक 19.12.2024 भरा जाकर बाद जांच ग्राम पंचायत बोबास रेस्पो के यहां पेश किया गया। जिसमे ग्राम पंचायत ने नामांतकरण मौके पर भूमि विवादीत होने अन्य काश्तकारों का कब्जा होने व पहाडी व बहाव क्षेत्र होने का कारण बताकर नामांतकरण दिनांक 08.01.2025 को खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण प्रविष्टि संख्या 161 दिनांक 19.12.2024 अस्वीकृत दिनांक 08.01.2025 विधि विधान तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। रैस्पोडेन्ट का आदेश प्राकृतिक न्याय

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

के नैसर्गिक सिद्धातों के विपरीत है। जो काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर दाखिल खारिज संख्या 161 दिनांक 08/01/2025 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 161 आदेश दिनांक 08/01/2025 को खारिज किया गया, को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 10/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17/2, 7/2, 8/1, 8/2, 9 कुल किता 11 कुल रकबा 2.1370 हे0 वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का बोबोस तह0 जोबनेर जिसमें से 1/2 हिस्सा खातेदार बाबूलाल शर्मा पुत्र बद्रीनारायण जाति ब्राहमण से जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2024 को खरीद की है तथा सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि देकर अपने पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजीयक जयपुर सप्तम से अपने पक्ष में पंजीबद्ध करवाया तथा मौके पर उसी दिन कब्जा भी विक्रेता ने क्रेता को संभला दिया। जिसका विवरण विक्रय विलेख में अंकित है। बेचान तय शुदा प्रतिफल अदा होने पर उपपंजियक ने निष्पादित कर पंजियन किया है। जिसे ग्राम पंचायत बोबास द्वारा बिना किसी अधिकार के विक्रय पत्र के नामांतकरण खारिज कर दिया गया। अतः नामान्तरण संख्या 161 आदेश दिनांक 08/01/2025 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 161 आदेश दिनांक 08/01/2025 सरपंच ग्राम बोबास तहसील जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो पुनः रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र की जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 14/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर